



अंत्योदय – सरल



हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
बिक्री के मामले में सम्पत्ति का पुनः हस्तांतरण  
(सेवा)

योग्यता

मंडियों में किसी प्लॉट / सम्पत्ति का मालिक।

प्रदान किया गया लाभ

किसी भी मार्केट कमेटी में प्लॉट / सम्पत्ति को हस्तांतरण विलेख उपरान्त बेचे जाने पर सम्पत्ति मालिक सम्पत्ति को खरीददार के नाम हस्तांतरण करने के लिए इस सेवा का लाभ उठा सकता है।

आवश्यक कागजात

1. परिवार पहचान पत्र
2. पहचान प्रमाण यानि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, (इनमें से कोई एक)
3. विधिवत हस्ताक्षरित आवंटी व खरीददार का अनुरोध पत्र।
4. आवंटी व खरीददार से क्षतिपूर्ति पत्र।
5. आवंटी व खरीददार की वचनबद्धता / स्वयघोषणा पत्र।
6. आवंटी व खरीददार द्वारा विधिवत हस्तांतरित बिक्री समझौता।
7. खरीददार का नमूना हस्ताक्षर
8. सम्पत्ति का कोई बकाया नहीं प्रमाण पत्र
9. स्वयं हस्ताक्षरित व हस्तांतरण विलेख व बिक्री विलेख की प्रति।
10. सम्पत्ति का पूर्णतः प्रमाण पत्र।

सेवा विभाग के लिए शुल्क

सरकारी शुल्क	केन्द्र सेवा शुल्क	अटल सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) सेवा शुल्क	विभाग स्तर पर भुगतान किया जाने वाला विभाग प्रभार	
			प्रक्रमण संसाधन शुल्क	हस्तांतरण शुल्क
कोई फीस नहीं	30/-रु0 प्रति आवेदन	30/-रु0 प्रति आवेदन	1000/-	1000/-

आर.टी.एस. समय सीमा: 30 दिन